उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या-344/2025/1166/41-1-2025-सी0एन0- 1796736-2024
लखनऊ दिनांक 29 मार्च, 2025
शासनादेश संख्या-331/2025/1037/41-1-2025 सीएन 1796736-2024 दिनांक 29.03.2025 का
शुद्धि पत्र

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-331/2025/1037/41-1-2025 सी०एन०-1796736-2024, दिनांक 29.03.2025 के प्रस्तर-2 की सारणी में क्रमांक 18 व 26 पर उल्लिखित परियोजनाएं एक ही है, जो त्रुटिका दो बार अंकित हो गयी है। क्रमांक-18 एवं 26 न अंकित परियोजनाओं को एक ही परियोजना पढ़ा जाए तथा प्रस्तर-2 एवं प्रस्तर में अंकित धनराशि रू० 10.25 लाख (रू0 दस लाख पच्चीस हजार मात्र के स्थान पर रु० 10.00 लाख रू0 दस लाख पच्चीस हजार मात्र) के स्थान पर रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) पढा जाए।

2- अत: उक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2025 को उपरोक्तानुसार इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा प्रयोजन की शेष रहतें प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

सख्या व दिनांक तदेव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
4 जिलाधिकारी, फतेहपुर/कन्नौज/बलिया/प्रयागराज/आजमगढ़/ कानपुर देहात/ सुलतानपुर/ बुलन्दशहर। अलीगढ़। गाजीपुर/कुशीनगर/जौनपुर/महराजगंज/गाजियाबाद गौतमबुद्धनगर। चन्दौली / कासगंज/मैनपुरी/ फिरोजाबाद/ तखनऊ/मैनपुरी/रायबरेली/बस्ती /आगरा ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, त्तखनऊ।
6. निदेशक, सी० एण्ड डी०एस० (जल निगम, उ०प्र०) लखनऊ ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिए, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10 क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक 4, 5, 6, 7 8.9 व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. संबंधित उप निदेशक, पर्यर्टन क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, पर्यटन।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in